वर्ष 2012–13 के लिए राशन एवं किरासन कूपन वितरण हेतु

कार्य योजना (Action Plan)

प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 2113 दिनांक 04.04.2012 द्वारा वर्ष 2012–13 के लिए राशन एवं किरासन कूपन वितरण की तैयारी के क्रम में कार्य योजना उपलब्ध कराने के प्रदत्त निदेश के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये गये :–

1. जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत् चिन्हित परिवारों को निर्धारित दर एवं मात्रा में खाद्यान्न एवं किरासन तेल की आपूति सुनिश्चित करने हेतु राज्य में राशन एवं किरासन कूपन योजना लागू है। विगत वर्ष चिन्हित लाभुक परिवारों को इस हेतु जो बार कोडेड कूपन उपलब्ध कराया गया था, उसकी अवधि माह मई–2012 में समाप्त हो रही है। विगत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी माह जून–2012 से माह मई–2013 तक के लिए लाभूक परिवारों को नया बार कोडेड कूपन उपलब्ध कराया जाना है, इस जिला में कूपन प्राप्त हो चूका है, जिसे शीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।

2. विदित हो कि इस बार भी पंचायतवार ईकाई मानकर बार कोडेड कूपन का मुद्रण कराया जा रहा है ताकि इस की नकल नहीं हो सके। कूपनों के बार कोडिंग में अन्य कोड के अलावे पंचायत, प्रखंड एंव जिला के लिए भी कोडिंग कराया जा रहा है, ताकि किसी प्रखंड या पंचायत के लिए मुद्रित कूपन का दूसरे प्रखंड या पंचायत में उपयोग नहीं किया सके।

3. माह मई–2011 में लाभुक परिवारों को उपलब्ध कराये गये कूपनों की अवधि समाप्त हो रही है तथा जून–2012 से नये कूपन के आधार पर ही खाद्यान्न एवं किरासन तेल की आपूर्ति की जानी है। अत एवं माह मई–2012 के अंतिम सप्ताह तक पूर्ण रूप से कूपनों का वितरण सुनिश्चित किया जाए।

4. विगत वर्षो में कूपन वितरण पदाधिकारी/कर्मी द्वारा स्थानीय मुखिया को वितरण हेतु कूपन सौंप देने की सूचनाएँ प्राप्त होती रही है। जबकि विभागीय निदेश के अनुसार किसी भी स्थिति में मुखिया अथवा डीलर को कूपन वितरण हेतु कूपन नहीं देना है।

5. कूपन वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता की संभावनाओं को रोकने तथा इस में पारदर्शिता लाने के लिए निम्न निदेश दिया जाता है :–

(A) प्रत्येक प्रखंड एवं शहरी क्षेत्र में कूपन वितरण हेतु तिथि एवं स्थल सहित पंचायतवार एवं वार्डवार रोस्टर के अनुसार ही कूपन शिविर लगाकर वितरण किया जाए।

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी रोस्टर तैयार करेगें एवं इसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करायेगें।

(B) रोस्टर के अनुसार निर्धारित तिथि का यदि कोई उपभोक्ता कूपन प्राप्त करने के लिए Turn up नही हो पाता है तो 15 दिनों के अन्दर दूसरी तिथि निर्धारित कर कूपन का वितरण कर लिया जाए।

(C) अंतिम रूप से कूपन वितरण के पश्चात जो भी कूपन अवितरित बच जाता है, उसे अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित रखा जाए।

(D) प्रत्येक प्रखंड के लिए तैयार किये गये पंचायतवार रोस्टर की प्रति स्थानीय जन प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध करा दी जाए ताकि शिविर में वितरण के समय यदि चाहें तो स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हो सके। माननीय सांसद, माननीय सदस्य बिहार विधान मंडल को शिविर में उपस्थित रहने का आग्रह किया जाए, जिसमें प्रखंडवार वितरित होने वाले वर्गवार कूपन की संख्या दी जाए।

(E) पंचायतवार रोस्टर वितरण की तिथि, समय एवं स्थल का स्थानीय लोगों के बीच व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किया जाए ताकि वितरण के समय लाभुक उपस्थित रहकर अपना कूपन प्राप्त कर सकें।

(F) कूपन का वितरण पंचायत में अवस्थित किसी सरकारी भवन यथा पंचायत भवन/सरकारी विद्यालय इत्यादि स्थल पर ही शिविर लगाकर किया जाए।

(G) लाभूक के बीच कूपन का वितरण स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों की पहचान पर राशन कार्ड में चिपकाये हुए फोटो से मिलान कर किया जाए ताकि वास्तविक लाभुक परिवारों को ही कूपन प्राप्त हो।

(H) कूपन वितरण के क्रम में वितरण पंजी संधारण के साथ ही निर्गत होने वाले कूपन की संख्या, कूपनों की अवधि सहित लाभुक परिवार के राशन कार्ड के पिछले पन्नों में अंकित अभ्युक्ति स्तम्भ में निश्चित रूप से दर्ज किया जाए एवं वितरण करने वाले कर्मी/पदाधिकारी द्वारा लधु हस्ताक्षर भी किया जाए।

(I) कूपन वितरण कार्यक्रम का गहन पर्यवेक्षण अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निश्चित् रूप से किया जाए, ताकि वास्तविक उपभोक्ताओं को कूपन मिल सके एवं निर्धारित अवधि में वितरण कार्यक्रम भी सम्पन्न हो सके।

6. कूपन वितरण हेतु पदाधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेगें एवं इसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करायेगें।

7. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत् अनियमितताओं की संभावनाओं को नगण्य करने के उद्धेश्य से जिला स्तर पर निगरानी के लिए निम्नवत उड़नदस्ता दल का गठन किया जाता है जो कूपन वितरण में किसी समय एवं स्थल पर औचक रूप से जॉच कर सकते है। इस उड़नदस्ता दल के साथ एक विडियोग्राफर को भी रखा जाए जो कूपन वितरण गतिविधि का विडियो तैयार करेगें ताकि इसकी मॉनेटरिंग किया जा सकें।

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अपने स्तर से विडियोग्राफर की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।

क्र0	प्रखंड/शहरी क्षेत्र का नाम	उड़नदस्ता पदाधिकारी का नाम	मोबाईल नं0
1	2	3	4
1	सदर मुंगेर/नगर निगम, मुंगेर	श्री राजेश कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, मुंगेर	9430297278
2	ज्मालपुर प्रखंड/नगर परिषद, जमालपुर	श्री मुकेश कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, मुंगेर	9430667752
3	बरियारपुर	श्री राजेश कुमार गुप्ता वरीय उप समाहर्त्ता, मुंगेर	9473129273
4	धरहरा	श्री आशीष नारायण भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मुंगेर	9939678424
5	खड़गपुर प्रखंड/नगर पंचायत, खड़गपुर	मो0 सलीम अख्तर अनुमंडल पदाधिकारी, ~~मुंगेर~~ खड़गपुर	9473191394
6	टेटियाबम्बर	श्री परमानन्द साह,भू0,सु0 उपसमाहर्त्ता खड़गपुर	9801530078
7	असरगंज	श्री आलोक कुमार–2, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (मध्यान भोजन), मुंगेर	9835666002
8	तारापुर	श्री कौशलेन्द्र कुमार अनु0 पदाधिकारी, तारापुर	9473191395
9	संग्रामपुर	श्री अजय कुमार तिवारी वरीय उप समाहर्त्ता, मुंगेर	9431448366

8. कूपन वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होने पाये इसके लिए कूपन योजना एवं कूपन वितरण हेतु समय–समय पर दिए गये निदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए साथ ही कूपन वितरण पंजियों का पूर्ण रूप से संधारण किया जाए।

9. कूपन वितरण करने वाले पदाधिकारी/कर्मियों को विभागीय निदेशों से पूर्ण रूप से अवगत करा दिया जाए तथा इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर दोषी पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

10. संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी (शहरी क्षेत्र) कूपन वितरण का दैनिक प्रतिवेदन प्रतिदिन फैक्स/विशेष दूत के माध्यम् से जिला आपूर्ति कार्यालय मुंगेर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

3.5.12
जिला आपूर्ति पदा०
मुंगेर

05/05/12
जिलापदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 367 /जि0आ0, दिनांक 07/05/2012

प्रतिलिपि : सभीअनुमंडलपदाधिकारी/कार्यपालकपदाधिकारी, नगरनिगम, मुंगेर/नगरपरिषद्, जमालपुर/नगरपंचायत, खड़गपुर/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.5.12
जिला आपूर्ति पदा०,
मुंगेर

05/05/12
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 367 /जि0आ0, दिनांक 07/05/2012

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (NIC), मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.5.12
जिला आपूर्ति पदा०
मुंगेर

05/05/12
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।